राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
पश्चिम क्षेत्रिय समिति

National Council For Teacher Educatio
Statutory Body of the Governm
Western regional Committ

पत्र सं/प.क्षे.स./APP3076/223/2016/ 175835 दिनाक: 16-11-16

प्रति,

प्राचार्य,
आर एस कॉलेज आफॅ ऐजूकेशन,
प्लॉट/खसरा न0 271/2, ग्राम– बेदाना,
तहसील– दतिया, जिला– दतिया– 475661,
(मध्य प्रदेश)

संदर्भः– संस्था के पत्र दिनांक 27.10.2016 एवं कार्यालय में प्राप्त दिनांक 07.11.2016 के संदर्भ में।

महोदय,

विषयांतर्गत संस्था द्वारा ऑन लाइन आवेदन दिनांक 28.06.2015 को किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में दिनांक 15.07.2015 को प्राप्त हुई है।

पश्चिम क्षेत्रीय समिति की 235वी बैठक दिनांक नवम्बर 23-24, 2015, में पश्चिम क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय किया गयाः–"The college applied online on 28.06.2015. However, the hard copy was received on 15.07.2015, which is more than the 15 days stipulated under the NCTE Regulations, 2014.**Hence, the application is summarily rejected and application fee paid be forfeited."**

समिति का आवेदन निरस्त कर दिया गया। संस्था को 01.12.2015 को पत्र जारी कर दिया गया था।

संस्था द्वारा कार्यालय में प्राप्त पत्र दिनांक 25.01.2016, 30.04.2016, 16.08.2016 एवं दिनांक 07.11.2016 के अनुसार "संस्था द्वारा प्रक्रिया शुल्क वापस मांगने हेतु आवेदन किया गया है।"

अतः निम्नानुसार संस्था को फीस वापस नही की जा सकती।

भवदीय,

(अवधेश नायक)
क्षेत्रीय निदेशक

R.DC(M)

संलग्नः– पत्र क्रं F.No. WRC/APP3076/223/235th/2015/156207, 209, दिनांक 01/12/2015

प्रतिलिपिः अध्यक्ष/सचिव, लार्ड कृष्णा बहुउद्देशीय शिक्षा प्रसार समिति, प्लॉट/खसरा न0 271/2, ग्राम– बेदाना, तहसील– दतिया, जिला– दतिया– 475661, (मध्य प्रदेश)

Ack 17/11/16

N.C.T.E. W.R.C.
R. No. 1559
Date 24-1

क्षेत्रीय निदेशक 17/11/16